

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3383] No. 3383] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 2019/आश्विन 24, 1941

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2019/ASVINA 24, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,16 अक्तूबर, 2019

का. आ. 3721(अ).—केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खण्ड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित युक्ति को, जो ओषधि के रूप में मानव में बाह्य या आंतरिक उपयोग के लिए आशयीत हैं, 1 नवंबर, 2020 से विनिर्दिष्ट करती हैं, अर्थात:–

"अल्ट्रासाउंड उपकरण" .

[फा.सं. एक्स.11014/8/2018-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2019

S.O. 3721(E).—In pursuance of sub-clause (iv) of clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby specifies the following device intended for external or internal use in human beings as drug with effect from the 1st day of November, 2020, namely:—

"Ultrasound equipment".

[F.No. X.11014/8/2018-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

5378 GI/2019